"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2003—माघ 18, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक 146/2604/2002/एक/2.—श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से. (1994), संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से संयुक्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री मिश्रा को अपने कर्त्तव्यों के साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संयुक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी, 2003

क्रमांक एफ ए 8-1/2001/एक (1).—इस विभाग के सम-

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

संख्यक आदेश दिनांक 23-10-2002 को अधिक्रमित करते हुये जिला योजना समिति की अध्यक्षता करने और जनसंपर्क तथा जन समस्याओं के निराकरण के लिये मंत्रि परिषद् के सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये जिलों का प्रभार कालम 3 के अनुसार सौंपा जाता है :—

स.क्र.	मंत्री/राज्य मंत्री का नाम/विभाग	प्रभार के जिले का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री नंद कुमार पटेल, मंत्री, गृह	रायपुर
2.	श्री भूपेश बघेल, मंत्री, राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को छोड़कर).	बिलासपुर
3.	श्री महेन्द्र कर्मा, मंत्री, उद्योग एवं खनिज (खनिज को छोड़कर).	दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)
4.	श्री माधव सिंह ध्रुव, मंत्री, आदिम-जाति तथा अनुसूचित जाति विकास.	कांकेर (उत्तर बस्तर)
5.	श्री अमितेष शुक्ल, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास.	महासमुंद
6.	श्री सत्यनारायण शर्मा, मंत्री, शिक्षा	दुर्ग
7.	श्री डी. पी. धृतलहरे, मंत्री, वन	कवर्धा
8.	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, मंत्री, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	सरगुजा
9.	श्री चनेश राम राठिया, मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	कोरिया
10.	श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री, निर्माण,पर्यावरण, एवं नगरीय विकास, विधि एवं विधायी तथा संसदीय कार्य.	रायगढ़
11.	श्री राम पुकार सिंह, मंत्री, उद्योग एवं खनिज, पर्यटन, संस्कृति, जनसंपर्क (उद्योग, पर्यटन एवं संस्कृति को छोड़कर).	जशपुर
12.	श्री गंगूराम बघेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व को छोड़कर).	जगदलपुर (बस्तर)
13.	श्री ताम्रध्वज साहू, राज्य मंत्री, ऊर्जा एवं जल संसाधन तथा शिक्षा (जल संसाधन को छोड़कर).	धमतरी
14.	श्री मोहम्मद अकबर, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजनांदगांव
15.	डॉ. शक्राजीत नायक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा एवं जल संसाधन (ऊर्जा को छोड़कर).	जांजगीर-चांपा
16.	श्री तुलेश्वर सिंह, राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास.	कोरबा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 175/63/साप्रवि/2003/1/2.—श्री पी. राघवन, प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज विभाग को दिनांक 13-1-2003 से 25-1-2003 (13 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 11, 12 जनवरी 03 एवं दिनांक 26 जनवरी सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राघवन को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव के पद पर वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज साधन विभाग में पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री राघवन को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राघवन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री पी. राघवन के अवकाश काल में, श्री के. के. चक्रवर्ती, प्रमुख सचिव, वन संस्कृति विभाग अपने कार्य के साथ-साथ वाणिज्य, उद्योग एवं खनिज विभाग का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2003

क्रमांक 181/2564/साप्रवि/2002/1/2.—डॉ. ए. जे. व्ही. प्रसाद, तत्कालीन सचिव, छ. ग. शासन; कृषि विभाग को दिनांक 22-2-2002 से 1-3-2002 (8) दिन तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. डॉ. ए. जे. व्ही. प्रसाद को अवकाश काल में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रसाद यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2003

क्रमांक 204/2723/साप्रवि/2003/1/2.—श्रीमती ऋचा शर्मा, तत्कालीन उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 3001/2371/2002/1/2/साप्रवि, दिनांक 11-12-2002 द्वारा दिनांक 12-12-2002 से 20-12-2002 तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, इसी तारतम्य में श्रीमती ऋचा शर्मा को [illegible]ांक 21-12-2002 से 24-12-2002 तक (13 दिन) तक का [illegible] अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11-12-2002 के शेष कालम (2) से (4) यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-1-1/2003/(6)/11.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3101/सा. प्र. वि./2002/स्था./2/1 दिनांक 27 दिसम्बर, 2002 द्वारा श्री बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग का स्थानान्तरण कलेक्टर, जशपुर के पद पर होने के कारण श्री एम. एस. धुर्वे विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग एवं खनिज विभाग अपने कार्यों के साथ-साथ आगामी आदेश पर्यन्त रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, छत्तीसगढ़ के कर्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन करेंगे. श्री एम. एस. धुर्वे को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा (4) एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-58 (1) के तहत रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्रदत्त होंगी.

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. पांडे, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-5-28/दो//आठ-परिवहन/2002.—चूंकि राज्य सरकार का मत है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,

अतः छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा विकलांगों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वाहन जो निम्नानुसार निर्दिष्ट है को दिनांक 1-11-2000 से मोटरयान कर से छूट देती है.

वाहन का प्रकार -	बस LGV (टाटा 709 मिनी बस स्कूल).
वाहन क्रमांक-	एम. पी. 23 जीए 3044.
इंजिन क्रमांक -	497D22 CTQ 727707
चेसिस क्रमांक -	379035 CTQ 809592

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-5-29/दो/आठ-परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 21-1-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 21st January 2003

No. F-5-28/2/8-Transport/2002.—Whereas the State Govt. is of the opinion that is necessary to do so in the public interest:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, the State Government hereby exempt the vehicles used for disabled as specified below from payment motor vehicle tax leviable under section 3 of the said Act with effect from 1-11-2000.

Vehicle Type-	Bus LGV (Tata 709 Mini Bus School).
Vehicle No. -	MP 23 GA 3044
Engine No. -	497D22 CTQ 727707
Chasis No. -	379035 CTQ 809592

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
A. K. VIJAYAVARGIYA, Additional Chief Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

फा. क्रमांक डी/538/21-ब/छ. .ग./2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री डी. आर. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 16th January 2003

F. No. D/538/21-B/Chh./2003.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure Code, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government, after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri D.R. Agrawal, Deputy Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Additional Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 543/डी-119/21-ब/छ. ग./2003.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1/1 [illegible] 6/2001/गोप./2002, दिनांक 3-1-2003 के परिप्रेक्ष्य में श्री [illegible] सिंह मरकाम, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, दुर्ग की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण वि[illegible] से वापिस लेते हुए उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में [illegible] सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. एस. राजपूत, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2003

फा. क्रमांक 668/डी-2783/21-ब/छ.ग./2003.—राज्य शासन, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिए जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित है, उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में दर्शाई गई वर्तमान रिटेनर फीस को पुनरीक्षित कर क[illegible] (4) में मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) के रूप में दिनांक [illegible] दिसम्बर, 2002 से नियत करता है :—

सारणी

क्र.	पदनाम	वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक	पुनरीक्षित निश्चित वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाधिवक्ता	रु. 21,000.00 (रु. इक्कीस हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 26,000.00 (रु. छब्बीस हजार केवल प्रतिमाह).
2.	अति. महाधिवक्ता.	रु. 16,000.00 (रु. सोलह हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 21,000.00 (रु. इक्कीस हजार केवल प्रतिमाह).
3.	उप-महाधिवक्ता.	रु. 14,000.00 (रु. चौदह हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 19,000.00 (रु. उन्नीस हजार केवल प्रतिमाह)
4.	शास. अधिवक्ता	रु. 12,000.00 (रु. बारह हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 17,000.00 (रु. सत्रह हजार केवल प्रतिमाह).
5.	उप-शास. अधिवक्ता	रु. 10,000.00 (रु. दस हजार केवल प्रतिमाह).	रु. 15,000.00 (रु. पन्द्रह हजार केवल प्रतिमाह).

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता 01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 40/S. R-31/B-3/IV/03 दिनांक 23-1-2003 द्वारा महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2003

क्रमांक 2503/डी-15/120/2002/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा ग्राम सिंघनपुर, तहसील बसना, जिला महासमुंद में स्थित खसरा नंबर 1536 को उपमण्डी प्रांगण के रूप में घोषित करती है जिसके अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में की गई कोई संरचना, आहता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है. उक्त अधिनियम की धारा-3 तथा 4 के अधीन अधिसूचना पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है.

उपमण्डी प्रांगण की सीमा

(1) उत्तर में - पशु औषधालय

(2) दक्षिण में - श्रीमती मूला का कृषि भूमि

(3) पूर्व में - तालाब एवं घास भूमि

(4) पश्चिम में - एन. एच. 6 पहुंच मार्ग

Raipur, the 10th January 2003

No. 2503/D-15/120/2002/14-3.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973), the State Government hereby declare the two hectare land Khasra No. 1536 in Village Singhanpur, Tahsil Basna, Disrtict-Mahasamund including any structure enclosure open place or locality in market area, as a sub-market yard. The Notification under section 3 and 4 of the said Act has been previously published.

Boundary of Sub-Market Yard

1. On the North - Veterinary Hospital
2. On the South - Agriculture land of Smt. Mulla.
3. On the East - Tank and gross land
4. On the West - Approach Road to NH-6.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2003

क्रमांक 2559/बी-14/12/2002/14-2.—बीज अधिनियम 1966 (1966 का संख्या 54) भारत सरकार की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत कार्यरत बीज परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित करती है, जहां उक्त अधिनियम के अधीन बीज विश्लेषकों द्वारा किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों का बीज नियम तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत विश्लेषण किया जाएगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

Raipur, the 15th January 2003

No. 2559/B-14/12/2002/14-2.—In the exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 4 of the Seed Act 1966 (No. 54 of 1966), the State Govt. hereby declares the Seed Testing Laboratory, Raipur working under C.G. Seed Certification Agency as a "State Seed Laboratory" where analysis of seeds of any notified kind, or variety, as per seed rules and instruction issued from time to time by the State Govt. shall be carried out by seed analysis under the seed Act.

2. This notification will come into force with effect from its publication in the State Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2002

क्रमांक एफ 1-28/2002/(6)52.—राज्य शासन द्वारा संचालनालय ग्रामोद्योग की पद संरचना (सेट-अप) निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	मान्य पद (3)	वेतनमान (4)
1.	संचालक ग्रामोद्योग	1	14300-18300
2.	अपर संचालक	1	14300-18300
3.	संयुक्त संचालक, रेशम	1	12000-16500
4.	उप-संचालक, रेशम	2	10000-15200
5.	सहायक संचालक, रेशम.	2	8000-13500
6.	तकनीकी पर्यवेक्षक (फील्ड आफिसर)	2	5000-8000 पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
7.	संयुक्त संचालक, हाथ-करघा.	1	12000-16500
8.	उप-संचालक, हाथ-करघा.	2	10000-15200
9.	सहायक संचालक, हाथकरघा.	3	8000-13500
10.	सहा. हाथकरघा अधिकारी.	3	5000-8000
11.	हस्तशिल्प विकास अधिकारी.	1	8000-13500
12.	सहायक हस्तशिल्प विकास अधिकारी.	1	5000-8000
13.	फील्ड इन्वेस्टीगेटर (हस्तशिल्प)	1	4500-7000
14.	मुख्य लेखा अधिकारी	1	10000-15200 प्रतिनियुक्ति से
15.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	2	5500-9000 प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती.

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	फील्ड इन्वेस्टीगेटर	3	4500-7000
17.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	2	5500-9000
18.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	4	4500-7000
19.	स्टेनो टायपिस्ट	2	3050-4590
20.	अधीक्षक	1	5000-8000
21.	सहायक अधीक्षक	2	4500-7000
22.	सहायक ग्रेड-1	3	4500-7000
23.	सहायक ग्रेड-2	5	4000-6000
24.	सहायक ग्रेड-3	17	3050-4590
25.	सहायक लेखाधिकारी	2	5000-8000 प्रतिनियुक्ति.
26.	लेखापाल	2	4000-6000
27.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	3	3050-4590
28.	वाहन चालक	2	3050-4590
29.	दफ्तरी	1	2610-3510
30.	भृत्य	9	2550-3200
31.	चौकीदार	1	कलेक्टर दर
32.	फर्राश	1	—"—
33.	स्वीपर	1	—"—
		85	

2. उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :—

(1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.

(2) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जावेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग के पृथक् से छूट प्राप्त नहीं कर ली जाय.

(3) चतुर्थ श्रेणी के कोई पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे. ये पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जावेंगे.

(4) दर्शाये गये सभी वेतनमान सही हैं. इस बात की पुष्टि कर ली गई है.

(5) ये सभी पद स्थाई पद होंगे.

3. रेशम संचालनालय की मांग संख्या-56 मुख्य शीर्ष 2851 ग्रामोद्योग एवं लघुशीर्ष-107 रेशम कीट पालन उद्योग योजना-(3778) रेशम उद्योग की योजना का क्रियान्वयन तथा हाथकरघा संचालनालय की मांग संख्या-56 ग्रामोद्योग एक राजस्व अनुभाग-2851-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग-103-हाथ करघा उद्योग-0101-राज्य आयोजना 931-केन्द्रीय कार्यालय आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 317/SR-209/ वित्त/चार/B-5/02 दिनांक 5-12-2002 द्वारा महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2003

क्रमांक 1942/मबावि/सावि/इमको/2002.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन/पंजीयन फर्म्स एंड सोसायटीज अधिनियम 1973 के तहत दिनांक 2-2-2002 को किया गया है. छत्तीसगढ़ महिला कोष का नाम दिनांक 13-12-2002 को परिवर्तित कर "इंदिरा महिला कोष" कर दिया गया है. अतः समस्त पत्र व्यवहार "इंदिरा महिला कोष" के नाम से किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 4 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को स्तंभ 3 एवं स्तंभ 4 में निर्दिष्ट उद्योग एवं स्थानीय क्षेत्रों के लिए संराधक नियुक्त करता है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति (2)	उद्योग (3)	स्थानीय क्षेत्र (4)
1.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रम पदाधिकारी.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत आने वाले समस्त उद्योग.	समस्त स्थानीय क्षेत्र

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 of the C.G. Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby appoints persons mentioned in column (2) of the schedule below to be the conciliators for the Industries and the local areas specified in the corresponding entries of column (3) and (4) thereof :—

SCHEDULE

No. (1)	Person (2)	Industries (3)	Local Areas (4)
1.	All Labour Officer appointed as such under sub-section (1) of section 6 of the C.G. Industrial Relation Act, 1960.	All Industries covered by the C. G. Industrial Relation Act, 1960.	All Local Areas

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई प्रथम एवं द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित व्यक्तियों को क्रमश: श्रम पदाधिकारी एवं उप श्रम पदाधिकारी नियुक्त करता है :—

अनुक्रमांक (1)	प्रथम अनुसूची (2)	अनुक्रमांक (3)	द्वितीय अनुसूची (4)
1.	श्री एच. आर. द्विवेदी	1.	श्री यू. के. कच्छप
2.	श्री एस. आर. दुग्गा	2.	श्री ताराचंद पटेल
3.	श्री एस. पी. वर्मा	3.	श्री अजय हेमंत देशमुख
4.	श्री एस. के. फुलेसर	4.	श्री रणवीर कपूर
5.	श्रीमती सविता मिश्रा	5.	श्री व्ही. आर. पटेल
6.	श्री एस. एल. जांगड़े		
7.	श्री देव प्रकाश तिवारी		
8.	श्री महेश राम		
9.	श्री यू. के. मेश्राम		
10.	श्रीमती अनिता गुप्ता		
11.	श्री भंवरसिंह बरिहा		
12.	श्री सूर्यभान सिंह पैंकरा		
13.	श्री विकास सरोदे		

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Industries Relation Act ,1960 (No. 27 of 1960) in it's application to the State of Chhattisgarh and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby appoints persons mentioned in the first schedule and the persons mentioned in second schedule to be respectively Labour Officers and Dy. Labour Officers :—

Sr. No. (1)	First Schedule (2)	Sr. No. (3)	Second Schedule (4)
1.	Shri H. R. Dwivedi	1.	Shri U. K. Kachhap
2.	Shri S. R. Dugga	2.	Shri Tara Chand Patel

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Shri S. P. Verma	3.	Shri A. H. Deshmukh
4.	Shri S. K. Phulesar	4.	Shri Ranveer Kapoor
5.	Smt. Savita Mishra	5.	Shri V. R. Patel
6.	Shri S. L. Jangde		
7.	Shri Deo Prakash Tiwari		
8.	Shri Mahesh Ram		
9.	Shri U. K. Meshram		
10.	Smt. Anita Gupta		
11.	Shri Bhanwar Singh Bariha		
12.	Shri Suryabhan Singh Paikra		
13.	Shri Vikas Sarode.		

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 25-ए की उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, उप श्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 या धारा 12 की उपधारा (5) के अंतर्गत संदर्भित औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक पंच निर्णय की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 25-A of the Chhattisgarh Industrial Dispute Rules 1957 and in supersession of all previous notification on the subject, the State Government hereby authories the Deputy Labour Commissioner (In charge Officer of I. R. Section, H. Q.) Chhattisgarh, Raipur to acknowledge the receipt of every arbitration award of a Labour Court or Industrial Tribunal in an industrial dispute referred to it by him under Section 10 or Sub-section (5) of Section 12 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. 14 of 1947).

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्र. 14 सन् 1947) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषयक पूर्व प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में दर्शित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के समस्त उद्योगों के लिए, जिनके राज्य शासन समुचित शासन है, संराधन अधिकारी नियुक्त करता है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	व्यक्ति (2)	क्षेत्र (3)
1.	श्रमायुक्त	प्रत्येक अधिकारी उसके समस्त स्थानीय अधिकारिता की सीमा में.
2.	सभी उप श्रमायुक्त	
3.	सभी सहायक श्रमायुक्त	
4.	सभी श्रम पदाधिकारी	
5.	सभी सहायक श्रम पदाधिकारी	

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. 14 of 1947) and in supersession of all previous notifications on the subject, the State Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Schedule below as Conciliation Officers for the areas specified against them in column (3) of the said schedule for all industries for which the State Government is the appropriate Government. :—

SCHEDULE

No. (1)	Person (2)	Industries (3)
1.	Labour Commissioner	Each officer within the limit of his local jurisdiction.
2.	All Dy. Labour Commissioners	
3.	All Asstt. Labour Commissioners	
4.	All Labour Officers	
5.	All Asstt. Labour Officers.	

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. म. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in it's application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 34 of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 33-सी (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in it's application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 33-C (1) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section. H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in it's application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 12 (5) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section, H. Q.) Chhattisgarh. Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in it's application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 12 (3) of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section, H. Q.) Chhattisgarh, Raipur.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-3/16/2003.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (क्रमांक XIV सन् 1947) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उपश्रमायुक्त (प्रभारी अधिकारी औ. स. शाखा, मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 14th January 2003

No. F-11-3/16/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 39 of the Industrial Dispute Act 1947 (No. XIV of 1947) in it's application to the State of Chhattisgarh and in Supersession of all previous notification's on the subject, the State Government hereby direct that powers by its Section 10 of the said Act shall be exercisable by Dy. Labour Commissioner (Incharge Officer I.R. section, H. Q.) Chhattisgarh, Raipur.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-11-13/2002/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में नियम बनाने तथा उसके क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति का गठन करती है.

1. श्रमायुक्त	:	अध्यक्ष
2. उपश्रमायुक्त "प्रशासन"	:	पदेन सचिव
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, रायपुर संभाग, रायपुर.	:	सदस्य
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रायपुर.	:	सदस्य
5. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर का प्रतिनिधि.	:	सदस्य

Raipur, the 24th January 2003

No. F-11-13/2002/16.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996), the State Government hereby constitute following Expert Committee for making rules under this Act and its implementation in the State.

1. Labour Commissioner : Chairperson
2. Dy. Labour Commissioner "Administration". : Officiating Secretary
3. Executive Engineer Rural Engineering Services Raipur Division. : Member
4. Executive Engineer Public Works Deptt. Raipur. : Member
5. Representative of Engineer in Chief Water Resources Deptt. : Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 21 जनवरी 2003

प्र. क्र. 3/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	बुधवारा प. ह. नं. 7	0.50	प्रबंध संचालक, भो. सह. शक्कर उत्पा. कार. मर्या., कवर्धा.	शक्कर कारखाना हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 जनवरी 2003

क्र. 518/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पुरैना प. ह. नं. 69/8	89.87	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के बांधपार एवं डुबान क्षेत्र के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्र. 915/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	अछोली प. ह. नं. 25	9.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान	आमनेर मोती नाला डायवर्सन के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क/भू-अर्जन/31.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे,क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बरगढ़ प. ह. नं. 8	4.127	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क/भू-अर्जन/32.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे,क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सरवानी प. ह. नं. 8	1.428	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क/भू-अर्जन/33.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	लोधिया प. ह. नं. 8.	5.781	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क/भू-अर्जन/34.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	ढिमानी	5.262	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहन्दीकला वितरक नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/सन् 02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटे डुमरपाली प. ह. नं. 13	0.507	महाप्रबंधक, एस. ई. सी. एल. रायगढ़ क्षेत्र.	राबर्टसन रेल्वे स्टेशन के निकट साईडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/सन् 02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुनकुनी प. ह. नं. 13	0.440	महाप्रबंधक, एस. ई. सी. एल. रायगढ़ क्षेत्र.	रेल्वे साईडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/सन् 02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	साल्हेओना	14.217	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	मेसर्स हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर (छ. ग.) के कागज कारखाना स्थापना हेतु भू-अर्जन.
		बिलाईगढ़	86.393		
		प. ह. नं. 29, 30	100.610		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

क्रमांक 1/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	आमाडांड़	3.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय के डाउन स्ट्रीम में वृक्षारोपण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 2/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सिलपहरी	4.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	सिलपहरी जलाशय के बांध एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सकोला	0.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 4/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पिपलामार	2.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	अपरखुज्जी जलाशय के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 5/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गिरारी	6.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	अपरखुज्जी जलाशय के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 6/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	झावर	0.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	अपरखुज्जी जलाशय के बांध पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2002

क्रमांक 7/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्र. एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सकोला	2.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	लोवर सोन व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 फरवरी 2003

क्रमांक 5 अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-आमाडांड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 97.48 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
377	0.92
381	0.76
512/2	1.52
513/2	0.20
519	1.75
523/1 ग	4.13
523/1 ड	3.21
523/1 ज	5.00
393/2	0.92
506/1	4.14
510/2	0.21
510/3	0.65
527/2	0.26
527/3	0.35
509	0.34
523/1 च	3.62
525/6	0.42
490/3	1.21
393/1	0.70
531/4	3.96
508/1	0.28
373/1	0.10
373/4	0.50
386/3	0.64
389	0.31
378	0.27
373/2	0.15
373/5	0.70
386/4	0.63
388/1	0.10
523/1 ख	4.00
369	0.60
510/5	0.20
393/3	0.97
521/2	0.60
518/2	0.14
521/3	0.88
534/1	1.34
399/2	0.06
384/3	0.38
397/2	0.56
398	0.14
400/2	0.05
402/7	0.54
522	1.06
529/1	1.46
525/4	0.42
388/3	0.24
538	0.25
533	0.73
511	0.74
525/5	0.42
372/2	0.58
510/4	0.65
527/4	0.52
528	0.08
523/1 क	1.06
394	0.68
526	1.30
393/4	0.65

(1)	(2)
388/2	0.35
390/1	0.26
392	0.90
391/1	0.54
534/2	0.60
536	0.08
537/2	0.30
373/3	0.15
373/6	0.30
374/2	0.55
376	0.03
375	0.40
391/3	0.90
387/2	0.68
385	0.27
382/1	1.45
382/3	1.09
384/1	0.98
380	0.44
387/1	0.22
537/1	2.21
531/2	0.60
513/4	0.95
503/5	1.02
521/4	0.12
523/1 घ	5.00
535/2	1.57
564/2	0.03
525/3	0.14
525/1	0.14
525/2	0.14
565	0.25
372/1	1.11
510/1	0.20
527/1	0.30
512/4	1.32
387/3	0.10
390/2	0.30
391/2	0.96
537/3	0.19
535/1	1.58
564/1	0.03
395	1.25
508/2	0.37
525/7	0.42
539	0.10
399/1	0.02
379	0.90
382/2	2.06
384/2	1.98
397/1	0.56
529/2	0.24
400/1	0.05
372/3	0.55
530	0.58
521/1	0.40
योग 112	97.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984, क्रमांक 1 सन् 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोसमपाली, कोकड़ीतराई, गेजामुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- कोसमपाली- 30.744

कोकड़ीतराई-15.328

गेजामुड़ा 2.469

योग 48.541 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम कोसमपाली	
279/1	0.599
38/1	0.255
38/3	0.324
38/5	0.194
41	0.454
43/2	0.085
115/3	0.040
280/5	0.382
115/4	0.045
46	0.571
49/1	0.789
47	0.210
50/1	0.477
94/1	0.117
94/6	0.263
106/1	0.032
114/1	0.068
275/3	0.210
275/8	0.129
299/1	0.036
301/2	0.105
301/7	0.097
301/12	0.093
301/17	0.049
94/2	0.522
274/1	0.263
275/4	0.117
299/2	0.089
299/6	0.275
300/12 ख	0.109
301/3	0.105
301/8	0.142
301/13	0.057
94/3	0.121
111/2	0.182
274/2	0.182
275/5	0.267
299/3	0.049
301/4	0.105
301/9	0.105
301/14	0.057
301/18	0.085
94/4	0.049
94/7	0.053
263/4	0.089
275/6	0.251
275/9	0.113
277/3	0.106
299/4	0.114
299/7	0.024
301/5	0.142
301/10	0.113
301/15	0.045
95/2	0.445
220	0.198
223	0.227
225	0.405
137	0.170
177/3	0.073
98	0.421
102	0.587
103	0.113
125/5	0.182
151/8	0.158
176/3	0.069
198/3	0.069
210/2	0.040
211/1 च	0.097
211/1 छ	0.032

(1)	(2)
211/1 ज	0.073
236/2	0.324
237/3	0.146
241/2	0.417
241/3	
241/4	0.036
105/1 क	0.162
125/3	0.445
125/4	0.028
130	0.425
254	0.239
156/3	0.061
165/1	0.032
250	0.109
249/1	0.004
249/6	0.134
249/8	0.040
249/10	0.040
249/12	0.040
249/14	0.008
249/16	0.203
249/5	0.081
249/7	0.182
249/9	0.190
249/11	0.061
249/13	0.061
249/15	0.008
249/2	0.097
249/3	0.065
249/4	0.178
265	0.057
253	0.243
255	0.178
300/10 क/2	0.364
258	0.178
259/2	0.166
300/3/2/क	0.405
300/3 क/4	0.057
262	0.466
275/1	0.061
301/1	0.057
275/2	0.676
275/7	0.124
375/10	0.254
299/5	0.028
300/4	0.057
300/7	0.490
300/10 घ	0.393
300/14	0.170
300/16	0.174
300/17	0.291
301/19	0.041
301/20	0.113
279/3	0.394
284/1	0.160
283	0.178
285	0.101
300/3 ख	0.182
300/10 ख	0.198
300/5 क	0.089
300/8 क/1	0.793
300/10 क/1	0.301
300/10 ग	0.202
300/11 ख/2	0.486
300/15 क	0.404
300/18	0.627
280	0.405
280	0.202
300/11	0.340
300/11 ख/3	0.305
300/11 ग/2	0.064
280/2	0.202
300/11 क/2	0.303
284/2	0.202
300/3 क	0.064
300/3	0.162
300/13	0.405
300/15/ख	0.405
300/11 ग/3	0.405
200/2	0.081
200/3	0.081
202/2	0.348
238	0.413
293/3	0.441
योग 153	30.744

(1)	(2)
ग्राम कोकड़ीतराई	
104/1 ख	0.202
109	0.522
112/1 क	0.324
178/2	0.081
104/1 ज	0.202
104/1 झ	0.202
104/1 च	0.202
104/1 ङ	0.202
104/1 ट	0.202
106/1	0.097
106/2	0.089
112/1 क/1	0.328
124/3	0.101
140/6	0.032
246/1	0.437
394	0.182
427	0.417
428	0.821
114/5	0.081
124/2	0.299
233/1	0.057
133/2	0.134
148/1	0.206
209	0.069
210	0.036
412/3	0.040
416/3	0.040
274/1	0.146
295/2	0.202
409	0.267
272/3	0.081
413	0.101
415	0.125
420	0.125
418	0.125
419	0.101
421	0.817
411	0.097
259	0.372
275/2	0.057
248/2	0.235
260/1	0.255
276/2	0.142
292	0.113
260/2	0.243
274/2	0.008
422	0.170
423	0.607
424	0.291
425	0.421
426	
278	0.567
294	0.364
410/1	0.121
257	0.125
410/2	0.425
273/2	0.053
277	0.170
412/2	0.300
416/2	
412/4	0.121
416/4	
417/2	0.073
414/2	0.445
273/1	0.458
276/1	0.142
261/1	0.073
261/2	0.077
योग 66	15.328
ग्राम गेजामुड़ा	
886/4	0.129
895/1	0.121
895/2	0.437
901	0.717
903/1	0.470
903/2	0.202
910/1	0.393
योग 7	2.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.